

भारत सरकार  
नागर विमानन मंत्रालय  
लोक सभा  
लिखित प्रश्न संख्या : 2087  
गुरुवार 12 फ़रवरी, 2026/23 माघ, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर  
विंग्स इंडिया 2026

2087. श्री प्रदीप कुमार सिंह:  
श्री योगेन्द्र चांदोलिया:  
श्री लुम्बाराम चौधरी:  
श्री प्रवीण पटेल:  
डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:  
श्री अनन्त नायक:  
श्री खगेन मुर्मु:  
श्री विष्णु दयाल राम:  
श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी:  
श्री अनिल फिरोजिया:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विंग्स इंडिया 2026 के दौरान घोषित समझौता ज्ञापनों, आशय पत्रों तथा वाणिज्यिक प्रतिबद्धताओं की संख्या और उनका कुल मूल्य क्या है;

(ख) इन समझौतों में से कितने भारतीय विमान कंपनियों, विमानपत्तनों, रख-रखाव, मरम्मत एवं परिचालन इकाइयों अथवा मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) आपूर्तिकर्ताओं से संबंधित थे;

(ग) क्या ऐसे समझौता ज्ञापनों और प्रतिबद्धताओं को बाध्यकारी अनुबंधों में परिवर्तित करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई थी और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और

(घ) विंग्स इंडिया 2026 के उपरांत इसके परिणामों की निगरानी हेतु कौन-सा संस्थागत तंत्र स्थापित किया गया है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) और (ख): विंग्स इंडिया 2026 के दौरान, एयरलाइनों, ओईएम, हवाईअड्डों और विमानन संस्थानों से संबंधित कुल पांच प्रमुख घोषणाएं/समझौते किए गए थे। विवरण इस प्रकार है:

1. एअर इंडिया-बोइंग: एअर इंडिया ने बोइंग से 30 अतिरिक्त ईंधन-कुशल नैरो-बॉडी विमानों का ऑर्डर देकर अपने बेड़े का विस्तार किया, जिससे इसका कुल विमान ऑर्डर 600 विमान हो गया। संपूर्ण बोइंग 787 बेड़े (मौजूदा तथा ऑर्डर वाले) को शामिल करते हुए कंपोनेंट सर्विसिज़ प्रोग्राम के तहत बोइंग ग्लोबल सर्विसिज़ के साथ एक बहु-वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

2. एअर इंडिया-एयरबस: 15 ए321 नियो विमानों को ए321एक्सएलआर वेरिएंट में बदलने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे लंबी दूरी के अंतरराष्ट्रीय परिचालन को सक्षम किया जा सके।

3. शक्ति ग्रुप-ओम्निपोल: भारत में एल410 एनजी (19-सीटर) विमान की शुरुआत और भारत में फाइनल असेंबली लाइन (एफएएल) स्थापित करने हेतु आकलन के लिए समझौता ज्ञापन।
4. एचएएल-पवन हंस लिमिटेड: नागरिक परिचालनों हेतु 10 ध्रुव नेक्स्ट जेनरेशन हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति के लिए अनुबंध।
5. एएआई-एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल: एयरपोर्ट्स मैनेजमेंट प्रोफेशनल एक्लेडिटेशन प्रोग्राम (एएमपीएपी) के कार्यान्वयन के लिए समझौता।

(ग) : विंग्स इंडिया 2026 के दौरान घोषित समझौता ज्ञापन और प्रतिबद्धताएं मुख्य रूप से बिजनेस-टू-बिजनेस व्यवस्थाएं हैं। इस प्रकार के समझौतों की समय-सीमा संबंधित पक्षों के बीच व्यावसायिक बातचीत, तकनीकी आकलनों, वित्तीय समापन और विनियामक अनुमोदन पर निर्भर करती है।

(घ) : विंग्स इंडिया 2026 के परिणामों की निगरानी फिक्की द्वारा संबंधित हितधारकों के साथ कार्यक्रम के आयोजन के बाद की संरचित अनुवर्ती कार्रवाई के माध्यम से की जा रही है, और सरकार की ओर से सहयोग अथवा नीतिगत हस्तक्षेप, जहां भी आवश्यक हो, प्रदान किया जा रहा है।

\*\*\*\*\*